

निर्णय ब इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर  
प्रकरण संख्या 73/2024 ( धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955)

राज्य सरकार जारिये राजेश कुमार टांक, प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम।

प्रार्थी

बनाम

श्री राजकुमार लोहिया पुत्र श्री मालचन्द लोहिया, निवासी बी-117, विजयबाड़ी, पथ नम्बर 4, देहर का  
बालाजी, जयपुर, मालिक बजरंग पराठा सेन्टर, जनाना हॉस्पिटल के सामने, चांदपोल, जयपुर।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के



तहत जब्त शुदा 03 घरेलू गैस सिलेण्डर आई.ओ.सी.एल. क्षमता 14.2

किलोग्राम मय 24.200 किलोग्राम एल.पी.जी. को साजसात

(Confiscate) करने बाबत ।

उपस्थित:-

1. विभागीय पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री अशोक कुमार अभिभाषक अप्रार्थी की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 12.06.2025

1. संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम से प्राप्त निर्देश की पालना में घरेलू गैस के अवैध व्यावसायिक उपयोग करने की सूचना प्राप्त होने पर प्रार्थी बहमराह प्रवर्तन स्टाफ के दिनांक 24.09.2024 को बजरंग पराठा सेन्टर, जनाना हॉस्पिटल के सामने, चांदपोल जयपुर की जांच की गई। परिसर की जांच करने पर 01 घरेलू गैस सिलेण्डर आई.ओ.सी.एल. क्षमता 14.2 किलोग्राम गैस भट्टी से जुड़ा पाया गया जिस पर पराठे बनाने का कार्य किया जा रहा था एवं दुकान पर 02 घरेलू गैस सिलेण्डर आई.ओ.सी.एल. ओर रखे पाये गये। अप्रार्थी द्वारा उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर व्यावसायिक उपयोग में लिया जा रहा था जिसको जब्त किया गया। जब्त सिलेण्डर को राजसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करने एवं जब्त गैस सिलेण्डर की एलपीजी ज्वलनशील, विस्फोटक एवं जनहित के काम आने वाली वस्तु होने से धारा 6-ए (2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। विभागीय पैरोकार के निवेदन पर जब्त सिलेण्डर की एलपीजी ज्वलनशील विस्फोटक एवं जनहित की वस्तु होने से धारा 6-ए, (2) के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश दिनांक 26.09.2024 को पारित किये जाकर जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को निर्देशित किया गया कि जब्त सिलेण्डर्स का नियमानुसार अन्तरिम निस्तारण कराया जाकर पालना प्रतिवेदन भिजवावें। नोटिस अप्रार्थी को जारी किये गये। अप्रार्थी की ओर से श्री अशोक कुमार अभिभाषक ने वकालतनामा पेश किया। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

जिला कलक्टर  
जयपुर

4. प्रार्थी की ओर से पैरोकार रसद ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि बजरंग पराठा सेन्टर, जनाना हॉस्पिटल के सामने, चांदपोल जयपुर पर श्री राजकुमार लोहिया की उपस्थिति में जांच की गई। मौके पर 01 घरेलू गैस सिलेण्डर आई.ओ.सी. एल. क्षमता 14.2 किलोग्राम गैस मट्टी से जुड़ा पाया गया जिस पर पराठे बनाने का कार्य किया जा रहा था एवं दुकान पर 02 घरेलू गैस सिलेण्डर आई.ओ.सी.एल. ओर रखे पाये गये। अप्रार्थी द्वारा उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर व्यावसायिक उपयोग में लिया जा रहा था। मौके पर मैसर्स ओमकार भारत गैस एजेन्सी जयपुर के प्रतिनिधि श्री राजू साहू पुत्र श्री मुन्नालाल साहू को बुला कर तौल कराया गया। तौल कराने पर गैस सिलेण्डर में 24.200 किलोग्राम एल.पी.जी. पाई गई। मौके पर अप्रार्थी द्वारा इस बाबत न तो कोई वैध दस्तावेज पेश किया गया और न ही व्यावसायिक उपयोग के संबंध में कोई संतोषजनक जबाब दिया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा द्रविकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्तशुदा सामग्री को राजसात (Confiscate) करने के आदेश फरमावे।
5. अप्रार्थी ने उक्त तर्कों का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि अप्रार्थी के कब्जे से जब्त घरेलू गैस सिलेण्डर प्रार्थी के स्वयं के है। सिलेण्डर कनेक्शन शुदा है। अप्रार्थी द्वारा द्रविकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के किसी शर्त या धारा का उल्लंघन नहीं किया गया है। अतः जब्त घरेलू गैस सिलेण्डर रिलीज किये जाने के आदेश फरमावें।
6. समय पक्ष की बहस को गौर से सुना । पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध फर्द मौका जब्ती दिनांक 24.09.2024 का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया ।
7. प्रार्थी द्वारा जब्त किये गये सिलेण्डर के समर्थन में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये। दौराने जांच मौके पर 03 आई.ओ.सी.एल. कम्पनी के घरेलू गैस सिलेण्डर पाये गये। घरेलू एल.पी.जी. कम कीमत पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जाती है, जिसका व्यावसायिक उपयोग किया जाना वर्जित है इसके बावजूद अप्रार्थी फर्म द्वारा उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था। उक्त कृत्य के पीछे अप्रार्थी की अवैध मुनाफा की आपराधिक मनःस्थिति एवं बदनियती स्पष्ट जाहिर होती है। इसलिए जब्त सिलेण्डर्स मय एलपीजी को राजसात किया जाना वाजिब समझते हैं।
8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी के कब्जे से जब्त 03 आई.ओ.सी.एल. कम्पनी के घरेलू गैस सिलेण्डर मय 24.200 किलोग्राम एल.पी.जी. को राजसात (Confiscate) किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
9. जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में दिनांक 26.09.2024 को अन्तरिम निस्तारण किये जाने के आदेश दिये गये है तदनुसार अन्तरिम निस्तारण से प्राप्त राशि राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करें।
10. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को प्रेषित हो । पत्रावली फैसल शुमार हो कर दर्ज नम्बर से कम हो ।  
निर्णय आज दिनांक 12.06.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।



(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)  
जिला कलेक्टर  
जयपुर